-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 06 वर्षीय बालिका का दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्णकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 26.07.2025 को थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 25.07.2025 की शाम करीब 05.00 बजे थाना कालिंजर क्षेत्रान्तर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक 06 वर्षीय बालिका के साथ पडोसी व पूर्व परिचित व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है । सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारीगणों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। घटनास्थल से फोरेन्सिक तथा अन्य टीमों द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों को संकलन किया गया है। बालिका को बेहतर इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां पर उसका बेहतर इलाज किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा थाना स्थानीय, एसऔजी व सर्विलांस सहित कई टीमों को लगाया गया था। प्रकरण में अभियुक्त, वादी का पड़ोसी व पूर्व परिचित है, जिसको ग्राम गुढाकला में गुढा मंदिर रोड पुलिया के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अमित रैकवार पुत्र बाबू रैकवार निवासी महोरछा थाना कालिंजर जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 135/25 धारा 137(2)/65(2)/66 बीएनएस व 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 136/25 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह प्र0नि0 थाना कालिंजर मय टीम
2. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम